

2025/320

खरीज
16.10.2025

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
अमीचन्द बनाम खुमाणाराम आदि
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 223 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
15.05.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 16.06.2025 को पेश हो। 217	
16.6.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 16.06.2025 को पेश हो।</p> <p>12.11.2025</p>	<p>आपकी पेशी पर वकालतनामा जमागी एम्प्लॉय की तस्के से पेश करेगा।</p>
12.11.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 16.06.2025 को पेश हो।</p> <p>14.10.2025</p>	
16-10-2025	<p>पत्रावली पेश करी गयी। वकील वादी उपस्थित नहीं। वकील वादी के कानून के कारण-कारण धारा 88, 53, 188 आरटीएक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पत्रावली नम्बर से कठ की जाकर 15 दिनों में दाखिल कर प्रस्तुत हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p> 